23

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 96/2021 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार,
पुत्र श्री शेर सिंह यादव,नि. 34 अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302039 प्रभारी अधि0 भू.अभि./स्थापना/राजस्व अनुभाग

GCMS No-2021/286

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
24.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 भू.अभि./स्थापना/राजस्व अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 22.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.2(152)सूकाअ/2021/1432–34 दिनांक 5.8.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 भू.अभि./स्थापना/राजस्व अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेंर के कार्यालय पत्रांक राम/भू.अ./ई–1/प.24/2021/12225 दिनांक 12.7.2021 की पालना में जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा हेतराम मीना आईएलआर फरिया के विरूद्व की गयी कार्यवाही, जॉच रिपोर्ट या ई.ओ. नियुक्ति एवं ई.ओ. द्वारा की गयी कार्यवाही/जॉच रिपोर्ट की प्रतियॉ। 2. यह है कि माननीय जिला कलेक्टर पंजीयन कार्यालय पत्रांक/पंजीयन/शिकायत/2020–21/927 दिनांक 7.6.2021 की पालना में तहसीलदार खण्डार द्वारा कराई गयी जॉच रिपोर्ट या कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। 3. यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय पत्रांक राजस्व/19/876 दिनांक 14.9.2021 की पालना में की गयी कार्यवाही एवं जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति बाबत खान विभाग जमीन। 4. यह है कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक भू.अ./19/5634 दिनांक 18.12.2019 की प्रमाणित प्रति मय मौका प्रस्तावित रिपोर्ट दिनांक 9.9.2018 बाबत ख0न0 544/1 व अन्य तथा दिनांक 16.11.2016 मय तहसीलदार के निर्णय दिनांक 1.2.2018 की पत्रावली संख्या 17/17 की प्रमाणित प्रति तथा उक्त पत्रांक 5634 दिनांक 18.12.2019 के क्रम में उपजिला कलेक्टर खण्डार का पत्रांक दिनांक 7.2.2020 की प्रमाणित प्रति तहसील खण्डार मे प्राप्त शुद्वा मय प्राप्ति नम्बर मय रिसिप्ट रजिस्टर की प्रति। 5. यह है कि अजीत सिंह शेखावत द्वारा तहसीलदार खण्डार को ख0न0 544/2 व 544/3 वाके ग्राम दौलतपुरा की तरमीम बाबत प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 6.3.2017,20.3.2017 तथा 12.5.2017 की प्रमाणित प्रति मय उक्त दिनांक 6.3.2017, 20.3.2017 तथा 12.5.2019 के प्राप्ति रजिस्टर की तहसील खण्डार की प्रमाणित प्रति। 6. यह है कि उक्त अजीत सिंह शेखावत द्वारा जिला कलेक्टर स0मा0 को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 22.3.2017 बाबत तरमीम नही करने की प्रति बाबत ख0न0 544/1 जो तहसीलदार खण्डार द्वारा गिरदावर पटवारी को जारी पत्रांक एलआर/1238 दिनांक 24.3.2017 की प्र. प्रति। 7. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेंर को प्रेषित पत्र प.2(8)10/शिका./स्था./2020/4904 दिनांक 15.9.2020 की प्र0प्रति। 8. जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा शासन उप सचिव राजस्व उपनिवेशन, शासन सचिवालय को जारी पत्र प.300/राजस्व/विविध/67/1568 दिनांक 27.2.1980 की प्रमाणित प्रति। 9. यह है कि उक्त पत्रावली मे भैरू सिंह शेखावत पुत्र श्री भूर सिंह द्वारा भूमि आवंटन बाबत दिनांक 18.10.1964 को प्रस्तुत पत्र जिला कलेक्टर स0मा0 280 दिनांक 18.10.1996 मय रिपोर्ट पटवारी पत्र संलग्नक की प्रमाणित प्रति मय उक्त प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति। 10. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 पत्रांक प.16/पीडब्ल्यूडी/अवाप्ति/राजस्व/15/7402 दिनांक 26.11.2015 की प्रमाणित प्रति तथा पत्र राजस्व/12/विविध/5870 दिनांक 10/2016 जारी तहसीलदार खण्डार बाबत तरमीम की प्रमाणित प्रति। 11. यह है कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक राजस्व/16/915–18 दिनांक 23.11.2016 की प्रमाणित प्रति मय मौका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2016 एवं 27.12.2016 बाबत ख0न0 281 बाबत अतिक्रमण कॉटा निर्माण द्वारा अजीत सिंह तथा अजीत सिंह के विरूद्व की गयी धारा 91 की कार्यवाही इस प्रकरण मे जारी मय निर्णय दिनांक 1.2.2017 प्र.स. 1/17 की कार्यवाही प्रति।

64

2

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 भू.अभि./स्थापना/राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 भू.अभि./स्थापना/राजस्व अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/रीडर/2021/2069 दिनांक 22.11.2021 एवं पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 23.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.7.2021 के बिन्दु संख्या 2,3,4,5,6 एवं 11 की सूचना मे से बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक/पंजीयन/21/120 दिनांक 12.11.2021 से 4 पृष्ठो की तथा बिन्दु संख्या 3 लगायत 5 की सूचना कुल 20 पृष्ठों की अपीलान्ट को जरिये पत्रांक भू.अ./21/787 दिनांक 18.11.2021 से एवं बिन्दु संख्या 6 की सूचना कुल 2 पृष्ठों की जरिये पत्रांक भू.अ./21/794 दिनांक 2.11.2021 से एवं बिन्दु संख्या 11 की सूचना कुल 10 पृष्ठों की जरिये पत्रांक राजस्व/21/1321 दिनांक 10.11.2021 से अपीलान्ट को भिजवायाी जा चुकी है। इस प्रकार तहसीलदार खण्डार द्वारा बिन्दु संख्या 2,3,4,5,6 एवं 11 पर चाही गयी कुल 36पृष्ठो की सूचना उक्तानुसार विभिन्न पत्रों के साथ भिजवायी जा चुकी है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 8 लगायत 10 की कुल 17 पृष्ठों की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक राजस्व/सूकाअ/4515 दिनांक 18.11.2021 से अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 7 की सूचना कुल 39 पृष्ठो की तीन प्रतियों के लिए 237रू जमा करवाने बाबत प्र.अ. संस्थापन अनुभाग के पत्रांक प.5(16)1/विविध/सूकाअ/स्था/2020/6422 दिनांक 11.11.2021 से लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अभी तक शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 1 की एक पृष्ठ की सूचना प्र.अ. भू.अभिलेख अनुभाग के पत्रांक प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2021/4890 दिनांक 9.9.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। दिनांक 30.9.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 की कुल 54 पृष्ठो की सूचना तहसीलदार खण्डार, प्रभारी अधिकारी भू.अ. एवं राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है किन्तु अपीलान्ट द्वारा बिन्दु संख्या 7 की सूचना के लिए शुल्क जमा नही करवाया जाने के कारण उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलन्ट बिन्दु संख्या 7 की सूचना प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग की मांग के अनुसार 237/-रू जमा करवाकर प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर